आदेश

पुलिस मुख्यालय के आदेश, ज्ञापांक–4253/एक्स0एल0, दिनांक–29.11.2013 द्वारा महात्मा गाँधी सेतु एवं एन0एच0–30 पर आये दिन हो रहे जाम की समस्या के समाधान हेतु निर्देश दिये गये थे। इसी क्रम में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक–14.05.2018 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक आहूत की गयी। इसमें महात्मा गाँधी सेतु पर बड़े वाहनों के परिचालन रोकने एवं यातायात प्रबंधन हेतु निर्णय लिये गये। पुलिस मुख्यालय के स्तर से अनुपालनार्थ निर्णय निम्न प्रकार हैं :–

01. पुलिस मुख्यालय के द्वारा महात्मा गाँधी सेतु पर यातायात परिचालन से संबंधित दिनांक–29.11.2013 का उपरोक्त आदेश मूलतः लागू रहेगा।

02. संपूर्ण जे0पी0 सेतु (सोनपुर–दीघा) पर यातायात का प्रबंधन पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना द्वारा किया जायेगा।

03. जे0पी0 सेतु के सोनपुर छोर पर पुलिस अधीक्षक, सारण तत्काल ओ0पी0 का सृजन करेंगे तथा इसके लिए विधिवत प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को समर्पित करेंगे।

04. जे0पी0 सेतु तथा महात्मा गाँधी सेतु के पटना छोर पर क्रेन की व्यवस्था पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना द्वारा तथा सारण के छोर पर पुलिस अधीक्षक, सारण द्वारा की जायेगी।

05. चारो पुल यथा वीर कुँवर सिंह सेतु (आरा–छपरा), जय प्रकाश सेतु (दीघा–सोनपुर), महात्मा गाँधी सेतु एवं राजेन्द्र सेतु, मोकामा के दोनों छोरों पर संबधित जिला द्वारा वितंतु स्टेशन स्थापित करते हुए एक Dedicated channel स्थापित किया जाय जो लगातार इन पुलों पर यातायात प्रबंधन में समन्वय का कार्य करेंगे। यह कार्य अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवा एवं संचार, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा।

06. यातायात व्यवस्था का अनुश्रवण पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन), बिहार, पटना प्रतिदिन करेंगे तथा इसकी समेकित रिपोर्ट मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, गृह विभाग तथा पुलिस महानिदेशक को प्रतिदिन दिया जायेगा।

07. जे0पी0 सेतु एवं महात्मा गाँधी सेतु पर यातायात प्रबंधन के लिए श्री कुमार इन्द्र प्रकाश, पुलिस उपाधीक्षक, बिहार सैन्य पुलिस–05 को तत्काल प्रभाव से प्रतिनियुक्त किया जाता है। इस कार्य के लिए 02 पुलिस निरीक्षक पटना जिला बल में वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर द्वारा तत्काल प्रतिनियुक्त किये जायेंगे।

08. यातायात प्रबंधन के लिए पुलिस महानिरीक्षक मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर द्वारा वैशाली एवं सारण जिला में तथा पुलिस महानिरीक्षक, पटना प्रक्षेत्र, पटना द्वारा पटना जिला बल को आंतरिक एकत्रीकरण द्वारा निम्नांकित संख्या में पदाधिकारी/बल उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाता है :–

पदाधिकारी/बल	**पटना जिला**	**वैशाली जिला**	**सारण जिला**
पुलिस अवर निरीक्षक	09	06	03
सिपाही (डी0ए0पी0)	40	20	20

09. पुलिस महानिरीक्षक, पटना प्रक्षेत्र, पटना/मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर इस संबंध में आदेश निर्गत कर प्रति पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

10. मुख्य सचिव द्वारा लिये गये निर्णय का **पथ निर्माण विभाग** के स्तर से अनुपालनार्थ बिन्दु निम्न है :–

01. जे0पी0 सेतु (सोनपुर–दीघा) तथा गाय घाट पीपा पुल पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाय।

shyam new letter

02. महात्मा गाँधी सेतु पर सभी प्रकार के भारी वाहन–बालू, गिट्टी एवं पत्थर से लदे ट्रक, पैट्रोल टैंकर का परिचालन तत्काल प्रभाव से पूर्णतः रोक दिया जाय। ऐसे वाहन राजेन्द्र पुल, मोकामा तथा वीर कुँवर सिंह, आरा से पारगमन करेंगे।

03. पैट्रोल ट्रक तथा टैंकर का परिचालन जे0पी0 सेतु पर रात्रि में किया जायेगा तथा समय–समय पर इस व्यवस्था की समीक्षा की जायेगी।

इन तीनों बिन्दुओं पर पथ निर्माण विभाग द्वारा सूचना निर्गत कर कार्रवाई की जायेगी तथा संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

वर्तमान आदेश तथा आदेश ज्ञापांक–4253, दिनांक–2911.2013 पुलिस मुख्यालय की बेवसाइट पर उपलब्ध है।

16/5

(के0एस0 द्विवेदी)
पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2187/3694 60 /एक्स0एल0
/XL(वि0) 98/2015

दिनांक 16/05/2018

प्रतिलिपिः–

01. मुख्य सचिव, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
03. प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
04. आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
05. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें एवं संचार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
06. पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
07. पुलिस महानिरीक्षक, पटना प्रक्षेत्र, पटना/मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर/भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर/दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
08. पुलिस उप–महानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना/मगध क्षेत्र, गया/शाहाबाद क्षेत्र, डिहरी/मुंगेर क्षेत्र, मुंगेर/तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर/दरभंगा क्षेत्र/ दरभंगा/सारण क्षेत्र, छपरा को सूचनार्थ एंव आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
09. जिलाधिकारी, पटना/वैशाली/सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
10. वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
11. पुलिस अधीक्षक, वैशाली/नालन्दा/जहानाबाद/भोजपुर/लखीसराय/ सारण/समस्तीपुर/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
12. पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (क्यू0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
13. पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
14. पुलिस अधीक्षक (वितंतु), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
15. समादेष्टा बिहार सैन्य पुलिस–05 को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
16. पुलिस उपाधीक्षक, म0नि0 नियंत्रण कक्ष, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

16/5

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।